इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय
INDIRA GANDHI KRISHI VISHWAVIDYALAYA
कृषक नगर, रायपुर 492 012 (छत्तीसगढ़)
KRISHAK NAGAR, RAIPUR - 492 012 (C.G.)
Phone 0771-2442537, Fax – 0771- 2443939, Email-regigkv@gmail.com

क्रमांक/वि.वि. भण्डार/अतिथि गृह/2018/202 रायपुर, दिनांक : 11/04/2018

// अधिसूचना //

प्रशासनिक परिषद् की दिनांक 03 जनवरी 2018 को संपन्न हुई 67वीं बैठक में विचार–विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"The Administrative council in its 67th meeting held on 03rd January 2018 discussed the proposal at length and recommended the following guidelines and revised rates for hiring Community Hall of IGKV.

विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक/स्था./2008/7892 दिनांक 06–10–2008 कम्युनिटी हॉल के आबंटन, मरम्मत व रखरखाव, किराया राशि का निर्धारित तथा नियम एवं शर्त में निम्नानुसार नवीन बिन्दु जोड़े जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया :–

1. कम्युनिटी हॉल अथवा प्रांगण में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (डीजे, लाउडस्पीकर, बैंड इत्यादि) का उपयोग विभिन्न समारोह/अवसरों आदि पर रात्रि 10.00 बजे के बाद पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। रात्रि 10:00 बजे के पूर्व भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग इस तरह से किया जाये कि आवासीय परिसर तथा छात्रावास में निवासरत को व्यवधान उत्पन्न न हो।
2. कम्युनिटी हॉल किराये पर लेने के दौरान आयोजक द्वारा खेल मैदान (क्रिकेट पिच, फुटबाल मैदान आदि) में टेंट, शामियाना आदि न लगाया जावे। साथ ही वाहनों की पार्किंग भी क्रिकेट पिच, व्हालीबॉल कोर्ट, बैडमेंटन कोर्ट आदि में नहीं किया जावें।
3. कम्युनिटी हॉल के सामने स्थित खेल के मैदान में विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा जावें।
4. समारोह/कार्यक्रम आदि के उपरांत प्लास्टिक के बोतल, पानी ग्लास, कप, प्लेट, जूठे भोजन सामाग्री, सजावट के लिये उपयोग किये प्राकृतिक एवं कृत्रिम फूलों, कचरा आदि का समुचित निपटारा किया जावें।
5. कम्युनिटी हॉल के सामने स्थित खेल के मैदान में मद्यपान, धुम्रपान, नशा आदि पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।
6. समारोह/कार्यक्रम आदि के उपरांत मैदान को संबंधित द्वारा पूर्णतः साफ किया जाना अनिवार्य होगा।
7. खेल मैदान को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचाना।
8. समारोह/कार्यक्रम आदि के दौरान किसी भी स्थिति में वाहनों की आवा–जाही कृषक नगर आवासीय परिसर में न की जावे।

निरंतर......(02)......

Scanned by CamScanner

विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश पृ.क्रमांक/स्था./2008/7892 दिनांक 06-10-2008 के बिन्दु क्रमांक (11) की तालिका में कम्युनिटी हॉल के किराया राशि में स्वच्छता शुल्क को अनिवार्य रूप से शामिल करते हुए किराया राशि का पुर्ननिर्धारण करते हुए निम्नांकित दरों का अनुमोदन प्रदान किया :-

11. विश्वविद्यालय के अधिकारी/कर्मचारी को किराया राशि में 50% छूट दी जावेगी। किराया राशि निम्नांकित तालिका अनुसार होगी :-

क्र.	मांगलिक/पारिवारिक आदि कार्य हेतु	वर्तमान में प्रचलित किराया राशि	नवीन संशोधित किराया राशि
1.	विश्वविद्यालय के अधिकारी/कर्मचारी हेतु (24 घंटे के लिए)	रु. 11,000.00	रु. 11,000.00 + 5,000.00 (स्वच्छता शुल्क) = 16,000.00
2.	शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था एवं इनके अधिकारी/कर्मचारी हेतु (24 घंटे के लिए)	रु. 21,000.00	रु. 21,000.00 + 5,000.00 (स्वच्छता शुल्क) = 26,000.00
3.	प्राईवेट संस्था / व्यक्ति हेतु (24 घंटे के लिए)	रु. 31,000.00	रु. 31,000.00 + 5,000.00 (स्वच्छता शुल्क) = 36,000.00
4.	विश्वविद्यालय के अधीन विभिन्न परियोजनाओं के तहत आयोजित सेमीनार आदि हेतु	माननीय कुलपति जी द्वारा शुल्क/किराये की राशि निर्धारित की जावेगी।	माननीय कुलपति जी द्वारा शुल्क/किराये की राशि निर्धारित की जावेगी।
5.	सगाई, जन्म दिवस आदि हेतु (08 घंटे के लिए) भूतल एवं भूतल पर स्थित दो कमरे		
	अ. विश्वविद्यालय के अधिकारी / कर्मचारी हेतु	रु. 5,000.00	रु. 5,000.00 + 2,000.00 (स्वच्छता शुल्क) = 7,000.00
	ब. शासकीय अधिकारी / कर्मचारी हेतु	रु. 7,500.00	रु. 7,500.00 + 2,000.00 (स्वच्छता शुल्क) = 9,500.00
	स. प्राईवेट संस्था / व्यक्ति हेतु	रु. 10,000.00	रु. 10,000.00 + 2,000.00 (स्वच्छता शुल्क) = 12,000.00

इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि कम्युनिटी हॉल में प्रवेश हेतु जिमनेजियम, स्पोर्ट काम्पलेक्स के समीप स्थित प्रवेश द्वार का उपयोग किया जावे, जिससे कि कृषक नगर के आवासीय परिसर तथा छात्रावास की ओर कार्यक्रम, समारोह आदि के अवसर पर आवा-जाही को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जा सकें।

उक्त अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगी ।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

कुलसचिव

पृष्ठा. क्रमांक/वि.वि. भण्डार/अतिथि गृह/2018/203 रायपुर, दिनांक : 11 /04/2018

प्रतिलिपि : -

01. लेखानियंत्रक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ।
02. निदेशक, अनुसंधान/विस्तार सेवायें/शिक्षण, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ।
03. निदेशक प्रक्षेत्र (बीज एवं प्रक्षेत्र), इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ।
04. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय रायपुर ।
05. अधिष्ठाता, एस.व्ही. कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महा. एवं अनुसंधान केन्द्र, रायपुर।

निरंतर......(03)......

Scanned by CamScanner

06. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ।
07. अधिष्ठाता, राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, अंबिकापुर ।
08. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, जगदलपुर / बिलासपुर / कवर्धा / भाटापारा / जॉजगीर–चॉपा / राजनांदगॉव / बेमेतरा / कोरिया / कांकेर / रायगढ़ / नारायणपुर।
09. अधिष्ठाता, बी.आर.एस.एम. कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महा. एवं अनुसंधान केन्द्र, मुंगेली।
10. अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, राजनांदगॉव / जगदलपुर ।
11. अधीक्षक भौतिक संयंत्र / पुस्तकालयाध्यक्ष, नेहरू पुस्तकालय, इं.गॉ.कृ.वि., रायपुर।
12. समस्त विभागाध्यक्ष, ... ।
13. प्रभारी, अतिथि गृह, / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (सुरक्षा) इंदिरा गॉधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ।
14. प्रभारी, आलू अनुसंधान केन्द्र, मैनपाट / जैव नियंत्रण प्रयोगशाला, बिलासपुर / टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला, रायपुर ।
15. वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, रायपुर / बिलासपुर / जगदलपुर / अंबिकापुर / भाटापारा / धमतरी / रायगढ़ / जांजगीर–चांपा / कटघोरा–कोरबा / महासमुन्द / कांकेर / जशपुर / दन्तेवाड़ा / कवर्धा / राजनांदगांव / बैकुण्ठपुर–कोरिया / बलरामपुर / नारायणपुर / बीजापुर / गरियाबन्द / दुर्ग / बेमेरा / मुंगेली / मैनपाट ।
16. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, इं.गॉ.कृ.वि., रायपुर ।
17. उप कुलसचिव (शैक्ष.), इं.गॉ.कृ.वि., रायपुर की ओर उनके यू.ओ. नोट नस्ती क्रमांक / प्र.प.–67. 03 / शैक्ष.–1 / बै.शा. / 2018 / 7706 दिनांक 06.03.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
18. कुलपति जी के निज–सहायक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ।
19. सूचना पटल / मास्टर नस्ती ।

कुलसचिव

Scanned by CamScanner